न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 20/18 **निर्णय दिनांकः–18–02–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2018/00128)

1. सुमन पुत्री शिवनारायण पत्नी सुभाष जाति बिश्नोई निवासी माडिया हाल निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. उर्मिला पुत्री शिवनारायण पत्नी मनोज जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिल बीकानेर।
2. सुनील पुत्र शिवनारायण जाति बिश्नोई निवासी माडिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. पूजा
4. आचूकी
5. अभिषेक

   नागालिगान पुत्र/पुत्रियॉ शिवनारायण जरिये कुदरतवली माता शारदा जाति बिश्नोई निवासी माडिया तहसील नोखा
6. शिवनारायण पुत्र केशुराम जाति बिश्नोई निवासी माडिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. सरोज पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी माडिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।
9. उपपंजीयक, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2018
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2018 जिसके द्वारा अपीलांट्/वादीगण का वाद खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही माडिया तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 702/279 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 703/293 तादादी 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 704/294 तादादी 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 810/301 तादादी 22.9414 हेक्टर कुल तादादी 23.2314 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट के दादा काशूराम वल्द हीराराम की खातेदारी भूमि होने से आराजी जैर पैतृक कोपार्सनरी सम्पति है। जिस पर अपीलांट का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। काशूराम के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि अपीलांट के पिता शिवनारायण अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम रिकार्ड में दर्ज हुई। ऐसीस्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार आराजी जैर पर अपीलांट का अधिकार बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा अमलामाल से मिलीभगत करके वादग्रस्त भूमि अपीलांट व अन्य भाई–बहिनों का नाम छोड़ते हुए अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली गई जिससे अपीलांट के काश्तकारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम दर्ज ही नहीं करवाई वरन् अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय भी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के हक में निष्पादित किया गया है। जिसका उन्हें विधिक रूप से अधिकार हासिल नहीं था। ऐसीस्थिति में अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित था कि वादग्रस्त भूमि एक कोपार्सनरी सम्पति है तथा अपीलांट के पिता को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अपीलांट का 1/7 हिस्सा बनता है तथा उसी के खातेदारी अधिकारों की धोषणा वादपत्र के माध्यम से चाही गई थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वसीयत व निर्वसीयत उत्तराधिकार के प्रावधान दिये गये है व उक्त भूमि जरिये वसीयत आना जमाबन्दी के इन्द्राज से साबित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया जाना स्पष्ट रूप से एबईनिशियों वाईड दस्तावेज की श्रेणी में आता है तथा ऐसे दस्तावेजों को शून्य धोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त है। अदालत मातहत द्वारा इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के बाई बर्थ राईट्स होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को आराजी जैर में 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 20—01—2020 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, वादग्रस्त भूमि के कोपार्सनरी सम्पति होने, वादग्रस्त भूमि के हिस्से से अधिक विक्रय को वॉयड धोषित करने व वादग्रस्त भूमि के संबंध में वसीयत आदि बिन्दुओं पर अपना स्पष्ट विवेचन अंकित किया गया है तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वसीयत से प्राप्त भूमि पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार दिये जाने संभव नहीं है तथा बैयनामें के संबंध में अभिनिर्धारित किया गया है कि बैयनामें से अधिक विक्रय की गई भूमि का वाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसीस्थिति में आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत कायम रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्/वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188के तहत वाद प्रस्तुत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के 1/7 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करने की इस्तदुआ की गई। उक्त वादपत्र अदालत मातहत द्वारा अस्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि वाके रोही माडिया तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 702/279 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 703/293 तादादी 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 704/294 तादादी 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 810/301 तादादी 22.9414 हेक्टर कुल तादादी 23.2314 हेक्टर भूमिअपीलांट के दादा काशूराम वल्द हीराराम की खातेदारी भूमि व पैतृक कोपार्सनरी सम्पति है। जिस पर अपीलांट का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया गया तथा कालान्तर में अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया गया। जिसका उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं था।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजों व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में अदालत मातहत के समक्ष जमाबन्दी संवत् 2071 व नामान्तरणकरण संख्या 542 दिनांक 08—07—2015 की प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरणकरण अपीलांट के पिता के नाम से जरिये वसीयत दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि उक्त भूमि अपीलांट/वादी के पिता को वसीयत से किस प्रकार प्राप्त हुई, तथा वादग्रस्त भूमि अपीलांट/वादी के दादा काशूराम वल्द हीराराम को किस प्रकार प्राप्त हुई।

ऐसी स्थिति में अपीलांट अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट के पिता द्वारा अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि के विक्रय किये जाने का प्रश्न है, उक्त विक्रय पत्र को विवेचित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट/वादी द्वारा उठाये गये सभी कानूनी बिन्दु अर्थात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, कोपार्सनरी सम्पति व अपीलांट के पिता द्वारा आराजी जैर को अपने हक व हिस्से से अधिक विक्रय को वॉयड धोषित करने व वादग्रस्त भूमि के संबंध में वसीयत आदि बिन्दुओं को अभिनिर्धारित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

8. लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28—02—2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18—02—2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: